



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूर - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1087 /Type Approval No.: 1087

नवीकरण/Renewal No.: 03 / संशोधन/Amendment No.: 02

**विषय/Sub: 75 ओहम्स ट्राईएक्सिअल केबल, पार्ट सं.: 7528एटी ट्राईएक्स/
75 Ohm Triaxial Cable, Part No.: 7528AT TRIAX**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स फ्लू-टेफ इंडस्ट्रिज, नरोल सर्खेज हाईवे, नरोल, अहमदाबाद - 382 405 "75 ओहम्स ट्राईएक्सिअल केबल", पार्ट सं.: 7528एटी ट्राईएक्स, को अनुमोदित कम्पोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (एसीबीएस) दस्तावेज संदर्भ सं.: एसीबीएस/टीए1087, दिनांक 25/09/2020 और आर सी एम ए (नासिक) द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देश और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित/नवीकृत किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उड़नयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट ए/प्रारंभिक टीए दस्तावेज में विवरित किया गया है।

This is to state that "75 Ohm Triaxial Cable", bearing the Part No.: 7528AT TRIAX, designed, developed and manufactured by M/s Flu-Tef Industries, Narol-Sarkhej Highway, Narol, Ahmedabad -382 405, is hereby Type Approved/ Renewed as per the Approved Component Build Standard (ACBS) defined vide Ref. No.: ACBS/TA1087 dated: 25/09/2020 conforming to Technical Specification and Qualification Test Requirements approved by RCMA (Nasik). The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A/Initial TA document.

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01/01/2021 से 31/12/2025 तक) पाँच(05) वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five (05) years from the date of issue/ renewal (from 01/01/2021 to 31/12/2025) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/5070/टीए/TA-1087

दिनांक / Date : 31 Dec 2020

फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

(कामेश गोयल/ Kamesh Goyal)

वैज्ञानिक 'जी' / Scientist 'G'

स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg. Chief Executive (Airworthiness)

वर्ग अनुमोदन के निबंधन और शर्तें / Terms and Conditions of Type Approval

1. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी उपयुक्त दस्तावेज में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all applicable documents.

2. यह वर्ग अनुमोदन जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से पाँच (05) वर्ष तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ सेमिलैक को सूचित करते हुए संबंधित आर सी एम ए से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid for five (05) years from the date of issue/ renewal, unless otherwise cancelled or suspended or revoked. The vendor shall request the respective RCMA under intimation to CEMILAC, for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

3. अगर इस वर्ग अनुमोदित उत्पाद में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन सेमिलैक की पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Any changes to the type approved product shall be effected only with prior concurrence of CEMILAC, Bengaluru - 560 037. The Type Approval is not transferable to any other agency without prior approval from CEMILAC.

4. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the quality control aspects of bulk production as stipulated by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

5. यह वर्ग अनुमोदन किसी भी प्लैटफॉर्म पर फिटमेंट और एकीकरण के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक प्लैटफॉर्म के ई एस ओपी में उल्लेखित नहीं हो या उद्देश्य के लिए विशेष सेवा मंजूरी नहीं दी गई हो।

Type Approval shall not constitute authority for fitment and integration on any platform unless called in the ESOP of the platform or specific service clearance to that effect.

Record of Provisional Clearances issued by RCMA		
SL. No.	Reference of Provisional Clearance issued/ renewed with date	Validity
1	RCMA(N)/1661/1361, dated: 25/11/2003	One Year

Record of Amendments Approved by CEMILAC		
SL. No.	Amendment Details	Basis and References
1	Firm Address Change	Ref: CEMILAC/5070/TA-918 & 12TAs/1A dated : 10/08/2015
2	ACBS Ref. No: ACBS/ TA1087, dated: 25/09/2020	Basis: RCMA(N)/1699/I, dated: 03/11/2020

Record of Type Approval issue and Renewals			
SL. No.	Date of Issue/ Renewal	Sl. No.	Date of Issue/ Renewal
1	07-01-2005	2	06-01-2010
3	03-02-2016	4	-----

सेवा में/Copy To:

क्र सं.	फर्म का पता	SL. No.	Firm Address	
1.	महा प्रबंधक मेसर्स फ्लू-टेफ इंडस्ट्रिज, आरवी डेनिम के सामने, बालकृष्णा टेक्सटाइल मिल के पास, यूनिट -2, इगल मोटर के लेन में, नरोल-सर्खेज हाईवे, नरोल अहमदाबाद – 382 405	1.	The General Manager M/s Flu-Tef Industries Opp Aarvee Denim, Near Balakrishna Textiles Mill Unit -2, In the Lane of Eagle Motors, Narol –Sarkhej Highway ,Narol, Ahmedabad -382 405	
2.	क्षेत्रीय निदेशक वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन का कार्यालय (एक्यूए)(नासिक), डीजीएक्यूए, रक्षा मंत्रालय, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओझर टाउनशिप- 422 207 नासिक.	2.	The Regional Director O/o Aeronautical Quality Assurance (AQA), (Nasik), DGAQA Ministry of Defence C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, OJhar Township – 422 207 Nasik	
3.	क्षेत्रीय निदेशक आर सी एम ए (नासिक) सेमिलैक, डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ओझर टाउनशिप- 422 207, नासिक.	3.	The Regional Director RCMA (Nasik), CEMILAC DRDO, Ministry of Defence Government of India C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Ojhar Township – 422 207 Nasik	
4.	महा प्रबंधक मेसर्स एच ए एल इंडिजनाइजेशन कक्ष कार्पोरेट कार्यालय 15 / 1, कब्बन रोड बेंगलूरु- 560 001	4.	The General Manager M/s HAL Indigenization Cell Corporate Office 15 / 1, Cubbon Road Bengaluru – 560 001	
5.	महा निदेशक डी जी ए क्यू ए, रक्षा मंत्रालय 'एच' ब्लॉक नई दिल्ली – 110 011	5.	The Director General DGAQA, Ministry of Defence 'H' Block New Delhi – 110 011	
6.	निदेशक (वायुयान) सेमिलैक बेंगलूरु- 560 037	6.	Director (Aircraft) CEMILAC Bengaluru – 560 037	for information please

→ For any clarifications, please contact CEMILAC at the following contacts:-

1- 1st level of contact: K. Shunmugapriya, Sc 'E', Directorate (TC&PI)
Ph.: 080-25121120 / 9481779933, Email: k.shunmugapriya@cemilac.drdo.in

2- Next level of contact: A.R. Raghunath, Sc 'G', Director (TC&PI)
Ph.: 080-25121401 / 9449049457, Email: gd.tcs@cemilac.drdo.in

Note: In case, If the clarifications are not resolved at the above levels; you may escalate the issue to CE (A), CEMILAC at the following:-

Ph: 080-25121001, Email: chief@cemilac.drdo.in